सीरिया (राजधानी: दमिश्क)

हाल ही में, विद्रोही मिलिशिया हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्ज़ा कर लिया।

राजनीतिक विशेषताएँ:

यह दक्षिण-पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है।

सीमाएँ: तुर्की (उत्तर), इराक (पूर्व और दक्षिण-पूर्व), जॉर्डन (दक्षिण), इज़राइल और लेबनान (दक्षिण-पश्चिम)।

इज़राइल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध में सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया।

महत्वपूर्ण शहर: दमिश्क (बरदा नदी के किनारे), होम्स, पलमायरा।

भौगोलिक विशेषताएँ:

जलवायु: सीरिया में मुख्य रूप से भूमध्यसागरीय जलवायु है।

पर्वत श्रृंखलाएँ: एंटी-लेबनान (अलग सीरिया और लेबनान), अल-अंसारियाह आदि। सबसे ऊँचा बिंदु: माउंट हरमोन प्रमुख नदियाँ: यूफ्रेट्स, टिगरिस, ओरोंटेस आदि। दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता स्थगित प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर बातचीत करने वाले देशों ने संधि को अंतिम रूप दिए बिना अपना पाँचवाँ सत्र समाप्त कर लिया। जिस संधि पर बातचीत की जा रही है, उसे 2022 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को संबोधित करने का प्रयास करता है, जिसमें इसका उत्पादन, डिज़ाइन और निपटान शामिल है। संधि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उत्पादन कैपिंग: यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों द्वारा उत्पादन कैप लक्ष्यों की मांग का भारत और चीन सहित देशों द्वारा विरोध किया गया। अस्पष्ट परिभाषा: कुछ प्लास्टिक रसायनों और उत्पादों के उन्मूलन पर स्पष्ट भाषा का अभाव। मसौदा पाठ में प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनोप्लास्टिक्स, प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर और रीसाइक्लिंग की परिभाषाओं को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था। भारत का रुख

विकास पर प्रभाव: भारत ने प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन को विनियमित करने के किसी भी उपाय का समर्थन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि इससे राष्ट्रों के विकास अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

क्षेत्र परिभाषित करना: साधन का दायरा केवल प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने तक सीमित होना चाहिए, बिना अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अधिदेश के साथ ओवरलैप किए।

चरणबद्ध अवधि: भारत ने इस स्तर पर चरणबद्ध तिथियों के साथ किसी भी सूची को शामिल करने का समर्थन नहीं किया।

सहायता: राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए और विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण

स्थिति: वैश्विक स्तर पर, हर साल 460 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में लीक हो जाता है।

परिणाम: प्लास्टिक प्रदूषण आवासों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बदल सकता है, पारिस्थितिकी प्रणालियों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका, खाद्य उत्पादन क्षमता और सामाजिक कल्याण पर सीधा असर पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन से संबंध: लगभग 98% एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 राज्य सभा में पारित हुआ

इसमें तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने का प्रयास किया गया है।

यह अधिनियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है।

बिल की मुख्य विशेषताएं

पेट्रोलियम संचालन को खनन संचालन से अलग करना।

खनिज तेलों की विस्तारित परिभाषा: मूल रूप से केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल करते हुए अब इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किसी भी हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को शामिल किया गया है।

यह भी स्पष्ट करता है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।

"पेट्रोलियम पट्टे" की अवधारणा पेश की गई: इसका अर्थ है खनिज तेलों की खोज, अन्वेषण, विकास, उत्पादन, व्यापार योग्य बनाने, ले जाने या निपटान के उद्देश्य से पट्टा।

केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति: यह लीज, संरक्षण और रॉयल्टी को विनियमित करने की शक्तियों को बरकरार रखता है, जबकि लीज विलय, सुविधा साझाकरण, पर्यावरण संरक्षण और विवाद समाधान के लिए प्रावधान जोड़ता है।

दंड लगाकर अधिनियम के प्रावधानों को अपराधमुक्त करना।

दंड का निर्णय: न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

संशोधन का महत्व:

ऊर्जा की पहुंच, सुरक्षा और सामर्थ्य सुनिश्चित करना, आयात निर्भरता को कम करना, क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और मजबूत प्रवर्तन तंत्र।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड नियामक बोर्ड (PNGRB) के बारे में

उत्पत्ति: यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

कार्य: पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति और बिक्री का विनियमन।

PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना है।

पीएनजीआरबी के निर्णयों के खिलाफ अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष जाती है।

‘प्रीसिपिस से पीछे हटना: ग्रहीय सीमाओं के भीतर रहने के लिए भूमि प्रबंधन को बदलना’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई

पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च द्वारा डी का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सहयोग से रिपोर्ट जारी की गई है

प्रमाणन (यूएनसीसीडी)।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

भूमि की केंद्रीयता: भूमि पृथ्वी की स्थिरता की नींव है क्योंकि यह जलवायु को नियंत्रित करती है, जैव विविधता को संरक्षित करती है, मीठे पानी की व्यवस्था को बनाए रखती है और भोजन, पानी और कच्चे माल उपलब्ध कराती है।

भूमि नौ ग्रहों की सीमाओं में से सात के लिए केंद्रीय है, जो वैज्ञानिक रूप से निर्धारित सीमाएँ हैं जिनके भीतर मानवता सुरक्षित रूप से काम कर सकती है।

इन सीमाओं को पार करने से विनाशकारी पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकते हैं और पृथ्वी प्रणाली अस्थिर हो सकती है।

भूमि क्षरण: असंवहनीय कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के रूपांतरण, वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों से प्रेरित।

प्रभाव: भूमि क्षरण 15 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर 1.2 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है।

भूमि क्षरण की आर्थिक लागत सालाना 6.3 और 10.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है।

रिपोर्ट की सिफारिशें

सहायक ढांचे, आर्थिक प्रोत्साहन, स्पष्ट संपत्ति और संसाधन-उपयोग अधिकार, और अभिनेताओं के बीच प्रभावी समन्वय जैसे सक्षम कारक।

पर्याप्त सार्वजनिक और निजी निवेश, विशेष रूप से सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निधियों में संधारणीय भूमि उपयोग का बेहतर एकीकरण और प्राथमिकता।

ग्रहीय सीमाओं जैसा वैज्ञानिक ढांचा नीति निर्माताओं के लिए साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है।

FSSAI ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के लिए परामर्श जारी किया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के परामर्श का उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है।

सलाह के मुख्य बिंदु

विनियामक अनुपालन: ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेचे जाने वाले खाद्य उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 का अनुपालन करते हैं।

उपभोक्ताओं को गुमराह करने से बचने के लिए ऑनलाइन दावों को भौतिक लेबल पर दिए गए दावों के अनुरूप होना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता: प्लेटफ़ॉर्म को अंतिम-मील डिलीवरी कर्मियों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिलीवरी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।

शेल्फ़-लाइफ़ आवश्यकताएँ: डिलीवर किए जाने वाले खाद्य उत्पादों में कम से कम 30% शेल्फ़ लाइफ़ बची होनी चाहिए, या डिलीवरी के समय समाप्ति से कम से कम 45 दिन पहले होनी चाहिए।

विक्रेता की जवाबदेही: प्लेटफ़ॉर्म पर विक्रेताओं के FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण संख्या और खाद्य व्यवसाय संचालकों की स्वच्छता रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।

सलाह का महत्व

ऑनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक।

पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाता है, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देता है और खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को कम करता है।

FSSAI के बारे में

स्थापना: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत।

मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भूमिका: खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना।

संगठनात्मक संरचना: इसमें केंद्र द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और बाईस सदस्य होते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ होंगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के एकसमान कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

उपयुक्त सरकार को POSH अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारियों को अधिसूचित करना चाहिए।

जिला अधिकारियों के कर्तव्यों में शामिल हैं:

जिले में संगठनों के भीतर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन सुनिश्चित करना।

POSH अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को ICC का गठन करना आवश्यक है, जो शिकायतें प्राप्त करता है, जांच शुरू करता है और कार्रवाई की सिफारिश करता है।

POSH अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित 'स्थानीय समिति' का गठन करें।

स्थानीय समिति उन प्रतिष्ठानों से यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करती है, जहां 10 से कम कर्मचारी होने या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है।

ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक/तालुका/तहसील में या शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले के क्षेत्र तक फैला हुआ है। हर राज्य शिकायत दर्ज करने के लिए एक शीबॉक्स स्थापित करने के बारे में सोच सकता है। यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) का उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों के पंजीकरण की सुविधा के लिए हर महिला को एकल खिड़की तक पहुँच प्रदान करना है। पॉश अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान यौन उत्पीड़न की परिभाषा: इसमें शारीरिक संपर्क, यौन एहसान की माँग, यौन रूप से रंगीन टिप्पणी, पोर्नोग्राफी दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन आचरण सहित सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न शामिल हैं। प्रयोज्यता: यह सरकारी, निजी क्षेत्र के संगठनों, अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों, रोजगार के दौरान जाने वाले स्थानों (नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित) और यहाँ तक कि आवासीय स्थानों सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। शिकायत समितियाँ: आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय समिति की स्थापना का प्रावधान है।